भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4245
20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आशा कार्यकर्ता योजना

4245. श्री केसिनेनी शिवनाथ:
श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास आशा कार्यकर्ता योजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश को आवंटित कुल निधि के संबंध में कोई आंकड़े हैं;
(ख) यदि हां, तो वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान आशा कार्यकर्ताओं के लिए राज्य द्वारा वर्षवार कुल कितनी निधि का उपयोग किया गया;
(घ) क्या सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार आशा कार्यकर्ताओं को वित्तीय सहायता और उनके लिए आवंटित हिस्से में वृद्धि करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार आशा कार्यकर्ताओं को स्वयंसेवकों के बजाय सरकारी कर्मचारियों के रूप में मान्यता प्रदान करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उनकी वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): आशा कार्यकर्ताओं के लिए सहायता सहित जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में बताई गई आवश्यकताओं के आधार पर और उनके समग्र संसाधन दायरे के भीतर प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2024-26 के लिए कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) में एनएचएम के तहत आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अनुमोदित निधियों का विवरण सार्वजनिक डोमेन में निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=52&lid=65

वित्त वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक एनएचएम के तहत आशाकर्मियों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

वित्त वर्ष	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय
2019-20	9878.91	10623.54
2020-21	13813.72	11225.51
2021-22	10017.75	9629.63
2022-23	3034.93	1660.65
2023-24	2447.48	2347.80

नोट:

1. उपरोक्त डेटा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत तथा उपलब्ध एफएमआर के अनुसार है और अनंतिम है।
2. व्यय में केंद्रीय निर्गत राशि, राज्य निर्गत राशि और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि के सापेक्ष व्यय शामिल है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, आशा कार्यकर्ताओं को सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक माना जाता है और वे कार्य/गतिविधि-आधारित प्रोत्साहन पाने की हकदार हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं के लिए अनुमोदित प्रोत्साहनों के अलावा, राज्यों को आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन तैयार करने की छूट है। विभिन्न कार्यों के लिए आशा कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

आशा कार्यकर्ताओं को देश में नियमित और आवर्ती गतिविधियों के लिए प्रति माह 2000 रुपये का निश्चित मासिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। सरकार ने सितंबर, 2022 में आशा कार्यकर्ताओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहनों को मंजूरी दी है। इन आशा कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का विवरण निम्नलिखित यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर उपलब्ध है:

https://nhm.gov.in/New-Update-2023-24/ASHA/Orders_and_guidelines/ASHA-INCENTIVES-APRIL-2024.pdf

इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आशा कार्यकर्ताओं को भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों के अतिरिक्त और प्रोत्साहन भी प्रदान करते हैं, जिनका विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

राज्य विशिष्ट आशा प्रोत्साहन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आशाकर्मियों को राज्य निधि से दिया जाने वाला राज्य विशिष्ट निश्चित/टॉपअप प्रोत्साहन
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	ग्रामीणों की बेहतरी के लिए प्रत्येक आशाकर्मी को प्रतिमाह 500/- रुपये प्रदान किए जा रहे हैं
2	आंध्र प्रदेश	प्रति आशाकर्मी प्रतिमाह 10,000/- रुपये की कुल प्रोत्साहन राशि के बराबर शेष राशि प्रदान की जाती है
3	अरुणाचल प्रदेश	प्रति माह रु. 2000/- (100% टॉप-अप, संवितरण की आवृत्ति त्रैमासिक)
4	बिहार	राज्य कोष से 1000/- रुपये प्रति माह/आशा और 1000/- रुपये प्रति माह/आशा सुविधाकर्ता के लिए अतिरिक्त प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन
5	छत्तीसगढ़	आशा द्वारा अर्जित प्रोत्साहन राशि का 75% राज्य कोष से दिया जाएगा।
6	दिल्ली	कार्यात्मक आशा के लिए मुख्य प्रोत्साहन राशि 3000/- रुपये प्रति माह है, साथ ही कुछ राज्य विशिष्ट गतिविधि प्रोत्साहन भी हैं।
7	गुजरात	कुल भारत सरकार द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहन और 2500/-माह नियत पर 50% टॉप अप/प्रति माह प्रोत्साहन
8	हरियाणा	रु.4000/- प्रति माह/आशा और 50% टॉप-अप (नियमित आवर्ती प्रोत्साहन को छोड़कर) और रु.450/- अतिरिक्त, 05 प्रमुख आरसीएच गतिविधियों के प्रदर्शन के साथ जुड़ा हुआ
9	हिमाचल प्रदेश	रु. 4700/- (राज्य प्रोत्साहन में रु. 500/- की वृद्धि की गई है, इसलिए अप्रैल, 2023 से देय कुल प्रोत्साहन राशि रु. 5200/- है)
10	झारखंड	14 प्रमुख संकेतकों के प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन पर 1000/- रु. का टॉप अप
11	कर्नाटक	राज्य सरकार आशा कार्यकर्ताओं को मासिक नियत मानदेय के रूप में 5000 रुपये प्रति माह प्रदान कर रही है
12	केरल	राज्य सरकार के कोष से आशा को 6000/- रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है।
13	महाराष्ट्र	रु. 3500/-माह/आशा
14	मणिपुर	रु. 1000/- प्रति आशा/माह.
15	मेघालय	राज्य निर्धारित प्रोत्साहन - रु. 2000/-माह और राज्य कोविड प्रोत्साहन - रु. 1000/- प्रतिमाह
16	मध्य प्रदेश	राज्य कोष से रु. 4000/-माह/आशा और 200/-माह/आशा सुविधाकर्ता
17	ओडिशा	1000/- प्रति माह सशर्त सुनिश्चित प्रोत्साहन राशि
18	पुदुचेरी	3000/- रुपये/आशा/माह की निश्चित राशि
19	पंजाब	प्रति माह 2500/- रुपये प्रति आशा/आशा सुविधाकर्ता
20	राजस्थान	राज्य सरकार निधि से 1650/- रुपये/आशा/माह
21	सिक्किम	राज्य कोष से 6000/- रुपये का मासिक निश्चित मानदेय वितरित किया जाता है, हाल ही में सिक्किम सरकार ने निश्चित मानदेय को 6000/- रुपये से बढ़ाकर 10000/- रुपये करने की घोषणा की है।
22	तमिलनाडु	एनसीडी प्रोत्साहन – 500/- रुपये
23	तेलंगाना	6750/- रुपये/माह
24	त्रिपुरा	8 विशिष्ट कार्यों पर 100% तथा एनएचएम कार्यों पर 33.33% की दर से राज्य के खजाने से टॉप अप किया जाएगा तथा प्रत्येक आशा और आशा सुविधाकर्ता के लिए 1000/- रुपए निर्धारित किए गए हैं।
25	उत्तर प्रदेश	1500/- रुपये प्रति माह (नियमित गतिविधि के लिए प्रोत्साहन से जुड़ा राज्य बजट प्रोत्साहन)
26	उत्तराखंड	रु. 3000/-माह राज्य प्रोत्साहन
27	पश्चिम बंगाल	सभी कार्यरत ग्रामीण आशा कार्यकर्ताओं के लिए 4500/- रुपये का मासिक निश्चित मानदेय

******